न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–43/2024

CNR No. UPAU120001742024

जगदेश्वरी देवी बनाम करन सिंह आदि

थाना बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–10.06.2024

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना गया।

परिवादिनी का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 08.01.2022 को समय करीब 04:00 बजे शाम विपक्षीगण करन सिंह पुत्र अहिवरन व विटोली पत्नी करन सिंह व वीनशराय पुत्र करन सिंह व दीपा पुत्री करन सिंह एक राय होकर प्रार्थिनी के घर आये और मॉ बहिन की भद्दी गाली गलौज करके प्रार्थिनी से कहने लगे कि अपने पति साले कुत्ते कमीने से कह दो कि जमीन का बंटवारा मेरे मन मुताबिक दोबारा कर ले। जबकि पूर्व में प्रार्थिनी का पति जयवीर व विपक्षी करन सिंह के बीच जमीन का बंटवारा हो चुका है। प्रार्थिनी व उसके पति ने दोबारा बंटवारा कराने से मना कर दिया और कहा कि यदि अब बंटवारा कराना चाहते हो, तो सरकारी बंटवारा डाल दो जाके और गाली गलौज का विरोध किया, तभी सभी विपक्षीगण अपने साथ लाये लाठी, डंडों से प्रार्थिनी की मारपीट करने लगे। प्रार्थिनी व उसके पति अपने को बचाने के लिए घर के अन्दर घुस गये, तो पीछे से जबरन विपक्षीगण भी प्रार्थिनी के घर के अन्दर घुस आये और घर के अन्दर लात, घूसों से मारपीट करने लगे। उसी समय शोरगुल पर प्रार्थिनी की पुत्री सुलोचना पत्नी विक्रमराय बचाने आयी, तो उसे भी लात घूसों से मारा पीटा प्रार्थिनी को विपक्षी बदनियती से विपक्षी करन सिंह ने लज्जाभंग करने की नियत से दबोच लिया और जमीन पर गिरा लिया था खींचा तानी करने लगा तथा कपड़े फाड़ दिए। प्रार्थिनी की पुत्री सिलोचना की मारपीट में एक सोने की पहने हुए जंजीर गिर गयी, जिसे विपक्षी वीनशराय ने बेईमानी की नियत से उठा ली और अपने साथ ले गया। उक्त विपक्षीगण ने लात, घूसों से मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी कि अगर जमीन का बंटवारा दोबारा नहीं कराया, तो अबकी बार जान से मार देंगे। प्रार्थिनी व उसके परिवार वाले थाने सूचना देने गये तो जांच की बात कहकर टाल दिया न ही प्रार्थिनी के शरीर पर मारपीट से आयी चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराया तब प्रार्थिनी ने दिनांक 11.01.2022 को सौ सैय्या अस्पताल चिचौली, औरैया में अपने शरीर पर मारपीट से आयी चोटों का डॉक्टरी परीक्षण कराया। प्रार्थिनी ने दिनांक 24.01.2022 को पुलिस अधीक्षक महोदय औरैया को रजिस्टर्ड डाक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया बावजूद इसके विपक्षीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयानों में सशपथपूर्वक कथन किया है कि दिनांक 08.01.2022 की घटना है। शाम को मैं अपने घर पर थी। करन, विनयराज, बिटोली व दीपा आये। मैं अपने घेर में थी। सभी लोगों ने मुझे मारापीटा व धमकी दी एवं गाली–गलौज की। करन ने धमकी दी कि या तो बंटवारा हो जाये या फिर मुझे जान से मार देगा। करन रिश्ते में मेरा जेठ लगता है। मुझे बहुत मारा। मैंने डॉक्टरी चिचौली अस्पताल में करायी थी। मैं शोर मचाती रही, पर घर वाले कोई नहीं आये। सब देखते रहे, कोई बचाने नहीं आया। मैं थाने गई, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं डरी हुई थी। मुझे नहीं पता कि घटना किसने–किसने देखी हो। मेरा बेटा विकास मुझे अस्पताल लेकर गया था।

परिवादिनी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत परिवादिनी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 सुनीता देवी व पी0डब्ल्यू0–2 विकास कुमार को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने परिवादिनी के कथनों का समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादिनी द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र, मूल रजिस्ट्री रसीद, डॉक्टरी परीक्षण व एक किता छायाप्रति आधार कार्ड दाखिल किये गये हैं।

परिवादिनी द्वारा अपने परिवाद में यह कथन किया गया है कि दिनांक 08.01.2022 को समय करीब 04:00 बजे शाम विपक्षीगण विटोली पत्नी करन सिंह, वीनशराय पुत्र करन सिंह व दीपा पुत्री करन सिंह द्वारा उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की गयी तथा विपक्षी संख्या 1 करन सिंह ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया कि विपक्षीगण विटोली, वीनशराय व दीपा ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी एवं करन ने मारापीटा, गाली–गलौज की एवं धमकी दी कि वह उसे जान से मार देगा। प्रार्थिनी ने अपनी डॉक्टरी चिचौली अस्पताल, औरैया में करायी।

इस प्रकार पत्रावली पर वर्णित तथ्यों, साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1 सुनीता देवी व पी0डब्ल्यू0–2 विकास कुमार के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0, चिकित्सीय परीक्षण एवं परिवादिनी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या 1 करन सिंह द्वारा परिवादिनी के साथ मारपीट, गाली–गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने तथा विपक्षीगण विटोली, वीनशराय एवं दीपा द्वारा मारपीट एवं गाली गलौज करने से सम्बन्धित प्रतीत होता है। ऐसे में विपक्षी करन सिंह के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं विपक्षीगण विटोली, वीनशराय व दीपा के विरूद्ध धारा–323, 504 भा0दं0सं0 का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार विपक्षी करन सिंह के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं विपक्षीगण विटोली, वीनशराय व दीपा के विरूद्ध धारा–323, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त करन सिंह के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 एवं अभियुक्तगण विटोली, वीनशराय व दीपा के विरूद्ध धारा–323, 504 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 25.07.2024 को पेश हो।

(प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code: UP3441